न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : **62/2017**

GCMS No. : **2017/00134**

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील–जैतारण, जिला–पाली		1. चम्पालाल पुत्र हरजीराम 2. रामलाल पुत्र हरजीराम 3. नौरतमल पुत्र हरजीराम जातियान– माली, निवासी– जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0। तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू –: 03.04.2017

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण, पैरोकार सरकार।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक :– 07/09/2020**

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार, जैतारण के पद पर कार्यरत् है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रुप में भूमिधारी है। अप्रार्थी की खातेदारी आराजी सरहद मौजा– जैतारण, में आयी हुई है। जिसका खसरा नम्बर 960, रकबा 34–13 बीघा, किस्म– बारानी अव्वल, लगान 23.47 प्रतिवर्ष के हैं। उक्त भूमि कृषि योग्य है और अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि का अकृषि में शराब की दुकान बनाकर संचालित की जा रही है। उक्त भूमि कृषि योग्य है इसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य में ही करने के अप्रार्थी अधिकारी है। अप्रार्थी उक्त आराजी में से रकबा 0–03 बीघा किस्म बारानी अव्वल पर कृषि से अकृषि कार्य मौके पर शराब की दुकान बनाकर उपयोग किया जा रहा है और भूमि की कृषि कार्य की उपयोगिता समाप्त कर दी है। उक्त भूमि सरहद मौजा– जैतारण, तहसी– जैतारण, खसरा नम्बर 960, रकबा 34–13 बीघा, किस्म बारानी अव्वल, लगान 23.47 प्रतिवर्ष के आई हुई है। जो अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार में है। प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा जमीन मुतनाजा का कृषि भिन्न कार्य (अकृषि कार्य) में उपयोग लेने की सूचना दिनांक 14/03/2017 प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

इस पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिसेज सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। बहस प्रार्थी सरकारी पैरोकार तहसीलदार जैतारण की सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। हल्का पटवारी जैतारण एवं भू. अ. निरीक्षक वृत. जैतारण की फर्द मौका रिपोर्ट दिनां

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar
Date: 2020.10.07 16:18:05
Reason: SelfAttested

02.2017 एवं मौका रिपोर्ट दिनाँक 06.02.2020 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खातेदार चम्पालाल, रामलाल एवं नोरतमल पिता हरजीराम द्वारा वादग्रस्त आराजी मौजा- जैतारण की खसरा संख्या 960, कुल रकबा 34-13 बीघा, जिसकी किस्म बारानी अव्वल है, मे से 0-03 बीघा, भाग पर शराब की दुकान स्थापित करके संचालित किया जा रहा है। खातेदार द्वारा भूमि का संपरिवर्तन नहीं करवाया गया है, तथा कृषि भूमि पर काश्त के बजाय बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के शराब की दुकान स्थापित करके संचालित करना कृषि भिन्न एवं वाणिज्यिक गतिविधि हैं, जो कि कृषि जोत के लिए अहितकर कार्य के साथ-साथ विधिवत रूप से संपरिवर्तन कराएं बिना ही कृषि भिन्न प्रयोजन में अनुप्रयोग की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा अपने पक्ष में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए है, न ही वादी तहसीलदार, जैतारण के वाद-पत्र का खण्डन किया गया है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि वादी का वाद-पत्र स्वीकार करते हुए खसरा संख्या 960 के कुल रकबे में से 0-03 बीघा भाग जो कि वाद-पत्र एवं मौका रिपोर्ट में अंकित है, से प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए उस पर से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाना विधि संगत रहेगा।

-: आदेश :-

तन्निष्कर्ष वाद वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भांति साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम-जैतारण, खसरा नम्बर 960, रकबा 34-13 बीघा, किस्म बारानी अव्वल में से 0-03 बीघा भाग जो कि वाद-पत्र एवं मौका रिपोर्ट में अंकित है, से प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए उस पर से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाए। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न पटवारी मौका रिपार्ट में लाल स्याही से अंकित भाग को सिवायचक दर्ज करते हुए भू नक्शे में तरमीम करें। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड
अधिकारी जैतारण, (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 07/09/2020 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड
अधिकारी जैतारण, (जिला-पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.10.07 16:18:05 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण
बईजलास :- श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
1. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील-जैतारण, जिला-पाली		1. चम्पालाल पुत्र हरजीराम 2. रामलाल पुत्र हरजीराम 3. नौरतमल पुत्र हरजीराम जातियान- माली, निवासी- जैतारण, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज०। तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज०।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मु०न० :रा०वा० स०: 62/2017

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री तहसीलदार जैतारण, वादी मिनजानिब मुद्दई, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम- पातुस, तहसील- जैतारण खसरा संख्या 61/11, रकबा 1-00 बीघा, किस्म- बारानी अव्वल से प्रतिवादी खातेदार रामनिवास पुत्र शिवदान निवासी- बांजाकुड़ी के खातेदारी अधिकार विलोपित करते हुए वादग्रस्त आराजी को सिवायचक खाते सरकार दर्ज करने के आदेश किए जाते हैं। प्रतिवादी रामनिवास को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जावें। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 07/09/2020 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-			मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री ... दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.10.07 16:18:05 IST
Reason: SelfAttested